न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-457RAAJodhpur2023-213RTA223 Prayagsingh ors Vs Kansingh etc

01. प्रयागसिंह पुत्र दलपसिंह
02. गोपालसिंह पुत्र दलपतसिंह
03. नखतसिंह पुत्र दलपतसिंह
04. सालमसिंह पुत्र दलपतसिंह
05. हुकमसिंह पुत्र दलपतसिंह
जातियान् राजपुत, निवासीगण– देणोक, तहसील आउ, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. कानसिंह पुत्र रूगनाथसिंह
2. अगरसिंह पुत्र आसुसिंह
3. अनोपसिंह पुत्र नारायणसिंह
4. उगमसिंह पुत्र आसुसिंह
5. गुड्डी कंवर पत्नी नखतसिंह
6. गुमानसिंह पुत्र आसुसिंह
7. चन्दनसिंह पुत्र हरीसिंह
8. चन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह
9. छोटूसिंह पुत्र आसुसिंह
10. जीतसिंह पुत्र नखतसिंह
11. पूंजराजसिंह पुत्र मेगसिंह
12. पपुकंवर पत्नी नखतसिंह
13. प्रेमसिंह पुत्र मेगसिंह
14. प्रेमसिंह पुत्र आसुसिंह
15. भंवरसिंह पुत्र नारायणसिंह
16. महावीरसिंह पुत्र नखसिंह
17. रामसिंह पुत्र आसुसिंह
18. सुमेरसिंह पुत्र मेगसिंह
19. सवाईसिंह पुत्र हरीसिंह
20. अर्जुनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह पुत्र रूगनाथसिंह फौत के कायम मुकामः–
    20.1. सांगसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह
    20.2. भोमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह
    20.3. रूपसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

20.4. नखतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह
20.5. सायरकंवर पत्नी अर्जुनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण– देणोक, तहसील आउ, जिला फलोदी।
21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आउ, जिला फलोदी।
22. श्रीमान् उपपंजीयक आउ, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अक्टूबर 2023 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 100/2023 कानसिंह बनाम प्रयागसिंह इत्यादि

उपस्थित–
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20/1 से 20/5
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 21 व 22

नि र्ण य

दिनांक : 24 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 100/2023 अनवान कानसिंह बनाम प्रयागसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अक्टूबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 21 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 286 एवं 287 ग्राम देणोक तहसील आऊ के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तत्पश्चात नवीन सहायक कलक्टर न्यायालय आऊ के सृजन से पत्रावली सहायक कलक्टर आऊ को स्थानांतरित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब में विचाराधीन चल रही थी, जिस पर प्रतिवादी को जवाब पेश करना था एवं उस प्रतिवादीगण की तामील होना बकाया था, इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा आज्ञा सूची संधारित किये बिना ही सीधे ही पीछे की तारीख में फैसला लिखकर कर पत्रावली में डाल दिया, जिसकी कोई जानकारी पक्षकारान् अथवा उनके अधिवक्तागण को नहीं हो सकी। हस्तगत मामले में कुछ प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया तथा पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत प्रतिवादीगण से जवाब लेकर मामले में तनकीयात कायम किये बिना तथा पक्षकारान् को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित की है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक–हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष राजीनामा जवाब दावा प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज पक्षकारान् के हिस्से अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन से भी प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब के मुताबिक ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 286 रकबा 0.0728 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 287 रकबा 3.1242 हैक्टेयर ग्राम देणोक तहसील आऊ में पक्षकारान् के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (राजस्व मण्डल) के नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार आऊ को आदेशित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपने हक–हिस्से में फेरबदल के संबंध में किसी प्रकार का उज्र किया है। लिहाजा गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 100/2023 अनवान कानसिंह बनाम प्रयागसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अक्टूबर 2023 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-457RAAJodhpur2023-213RTA223 Prayagsingh ors Vs Kansingh etc

अपीलाण्ट

01. प्रयागसिंह पुत्र दलपसिंह
02. गोपालसिंह पुत्र दलपतसिंह
03. नखतसिंह पुत्र दलपतसिंह
04. सालमसिंह पुत्र दलपतसिंह
05. हुकमसिंह पुत्र दलपतसिंह

जातियान् राजपुत, निवासीगण– देणोक, तहसील आउ, जिला फलोदी।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. कानसिंह पुत्र रूगनाथसिंह
2. अगरसिंह पुत्र आसुसिंह
3. अनोपसिंह पुत्र नारायणसिंह
4. उगमसिंह पुत्र आसुसिंह
5. गुड्डी कंवर पत्नी नखतसिंह
6. गुमानसिंह पुत्र आसुसिंह
7. चन्दनसिंह पुत्र हरीसिंह
8. चन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह
9. छोटूसिंह पुत्र आसुसिंह
10. जीतसिंह पुत्र नखतसिंह
11. पूंजराजसिंह पुत्र मेगसिंह
12. पपुकंवर पत्नी नखतसिंह
13. प्रेमसिंह पुत्र मेगसिंह
14. प्रेमसिंह पुत्र आसुसिंह
15. भंवरसिंह पुत्र नारायणसिंह
16. महावीरसिंह पुत्र नखसिंह
17. रामसिंह पुत्र आसुसिंह
18. सुमेरसिंह पुत्र मेगसिंह
19. सवाईसिंह पुत्र हरीसिंह
20. अर्जुनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह पुत्र रूगनाथसिंह फौत के कायम मुकामः–
    - 20.1. सांगसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह
    - 20.2. भोमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह
    - 20.3. रूपसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह
    - 20.4. नखतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

20.5. सायरकंवर पत्नी अर्जुनसिंह उर्फ दुर्जनसिंह
जातियान् राजपूत, निवासीगण– देणोक, तहसील आउ, जिला फलोदी।

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आउ, जिला फलोदी।

22. श्रीमान् उपपंजीयक आउ, जिला फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अक्टूबर 2023 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 100/2023 कानसिंह बनाम प्रयागसिंह इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 24 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 100/2023 अनवान कानसिंह बनाम प्रयागसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अक्टूबर 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 24 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर